(1)

प्रेषक,

जैनुद्दीन अंसारी,

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),

जनपद सन्त कबीर नगर।

सेवा में,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

जनपद संत कबीर नगर।

विषय–दिनांकित 24.01.2024 के अनुपालन में आख्या।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि प्रत्येक माह मानिटरिंग सेल की मीटिंग आहूत की जाती है। उक्त मीटिंग में मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया जाता है। मीटिंग के दौरान प्रायः श्री सत्यजीत गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर द्वारा पॉक्सो मामले में सजा कराये जाने हेतु दबाव बनाते थे तथा यह तर्क प्रस्तुत करते थे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पॉक्सो मामले में सजा हो रही है और संत कबीर नगर जिले में सजाएँ बहुत कम हो रही है। जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में सबसे निचले पायदान पर है। उक्त बात को मेरे द्वारा टाल दिया जाता था तथा बड़े सहज भाव से मेरे द्वारा कहा जाता था कि यदि पॉक्सो मामलों में सबूत पर्याप्त हो तो सजा निश्चित तौर पर होगा, यदि सबूत पर्याप्त नहीं है तो मामले में सजा नहीं होगी। दिनांक 28.10.2023 को मानिटरिंग सेल की बैठक शांम 04:30 बजे आहूत की गयी थी, किन्तु बैठक किसी अन्य समय पर सम्पन्न की गयी, जिसके संबंध में मुझे कोई सूचना नहीं दी गयी थी। दिनांक 07.11.2023 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–02/2023, दिनाकित नवम्बर 7, 2023 के माध्यम से पूछा गया कि आपके द्वारा 13 फौजदारी वादों में बहस सुनने के बावजूद निर्णय आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त अर्द्धशासकीय पत्र के साथ 13 वादों की एक सूची दिनांकित 28.10.2023 भी उपलब्ध करायी गयी। मेरे द्वारा उक्त पत्रावलियों की जांच की गयी, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि सभी पत्रावलियों में बहस जारी है, जिसमें 01 पत्रावली सी०आई०एस० पर निर्णय हेतु अग्रसारित की गयी थी, जो कार्यालय लिपिक द्वारा त्रुटिवश निर्णय पर अग्रसारित कर दी गयी थी, जबकि पत्रावली का आदेश पत्रक पर उक्त पत्रावली भी बहस के स्तर पर लम्बित थी। चूंकि मुझे माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा जारी अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–02/2023, दिनांकित नवम्बर 07, 2023 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना था, जिसके कारण मेरे द्वारा श्री सत्यजीत गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर तथा अभियोजन निदेशक, संत कबीर नगर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, ताकि उक्त 13 वादों के संबंध में उन्हें कहां से जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त 13 मामलों में बहस पूर्ण हो चुकी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर मेरे द्वारा माननीय न्यायाधीश महोदय को आख्या प्रस्तुत करना सरल हो जाता है।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मुझे बुलाकर 03 अवसरों पर यह बात कही गयी कि हमारा जिला पॉक्सो मामले में सजा के मामले में सबसे निचले स्तर पर है। पुलिस अधीक्षक, संत

Scanned with OKEN Scanner

कबीर नगर बार–बार इसकी शिकायत कर रहे हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर के सारी बातों का पूर्णः समर्थन किया जाता रहा है।

मेरे द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांकित 09.11.2023 जो प्रशासनिक साइड से जारी किया गया था, के संबंध में पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर तथा अभियोजन निदेशक, संत कबीर नगर ने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया, न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, बल्कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को शिकायत प्रस्तुत किया। **(संलग्नक–1)** उक्त शिकायत संख्या C– 9/2023 दिनांकित नवम्बर 17, 2023 के संबंध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा शासकीय पत्र संख्या–26/2023, दिनांकित नवंबर 01, 2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण तलब किया। जिसका स्पष्टीकरण **(संलग्नक–2)** मेरे द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर ने अपने शिकायत प्रार्थना पत्र के पैरा 02 में कथन किया है कि मानिटरिंग सेल की मीटिंग में मेरे द्वारा गलत आरोप लगाया गया था तथा **"जो उपरोक्त न्याय प्रशासन पर प्रश्नचिन्ह लगाने के समान है।"** उक्त कथन पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर द्वारा लिखा जाना घोर आपत्तिजनक है, क्योंकि मानिटरिंग सेल की बैठक में सजा करने या दोष–मुक्त करने के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। आपराधिक मामलों में सजा करना या दोष–मुक्त करना साक्ष्यों के मूल्यांकन पर निर्भर करता है। आपराधिक मामले में सजा या दोषसिद्धि न्यायिक कार्यवाही है, जिसके संबंध में मानिटरिंग सेल की बैठक में चर्चा किया जाना आपराधिक न्याय प्रशासन के खिलाफ है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मौखिक रूप मुझ पर हमेशा दबाव बनाने का प्रयास किया जाता रहा है कि पॉक्सो मामले में अधिक से अधिक सजा हो। पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर द्वारा प्रस्तुत उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के पैरा 03 में कथन किया गया है कि मानिटरिंग सेल की मीटिंग में उनके द्वारा पॉक्सो मामले की पत्रावली के संबंध में चर्चा नहीं की गयी थी। मेरे द्वारा जारी नोटिस "पूर्वाग्रह से आक्रोशित होकर जारी की गयी थी जो न्यायाधीश के पद पर बैठे न्यायप्रिय न्यायाधीश के अनुकूल नहीं है।" जिलाधिकारी, संत कबीर नगर के पत्र संख्या–50 OSD 2023/CA दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 के पैरा 02 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि पॉक्सो मामले में सजा का प्रतिशत बढ़ाये जाने हेतु चर्चा हुई थी। उक्त चर्चा में पॉक्सो न्यायालय से केवल 24 मामले में कुल 02 मालले में दोष–सिद्ध किये जाने की चर्चा हुई थी, जो यह दर्शित करता है कि मेरे द्वारा दोष–मुक्ति की जा रही तथा सजा नहीं की जा रही है, जबकि पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि पॉक्सो नामले के मानिटरिंग सेल की मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई थी, जो आपस में घोर विरोधाभाष है तथा अपने को बचाने हेतु इस तरह के शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–02/2023, दिनांकित नवम्बर 07, 2023 से भी स्पष्ट है कि दिनांक 28.10.2023 को मानिटरिंग सेल की बैठक के दौरान 13 वादों की सूची माननीय महोदय को उपलब्ध कराये गये थे। उक्त सूची मानिटरिंग सेल की मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों द्वारा ही कराये गये होंगे। उक्त सूची पुलिस अधिकारी और अभियोजन अधिकारी द्वारा ही प्रस्तुत की गयी होगी।

दिसम्बर माह में सम्पन्न मानिटरिंग सेल की बैठक में सभी जिला स्तर अधिकारी और न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे, उक्त बैठक में पुनः उपरोक्त प्रकरण की चर्चा होने लगी तथा

Scanned with OKEN Scanner

माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अनिल कुमार वर्मा–I द्वारा मुझे बुरी तरह से अपमानित किया गया तथा मेरे द्वारा निर्गत आदेश का मजाक उड़ाया गया, जिस कारण मैं बहुत ही दुखी हुआ। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों का पूर्णतः समर्थन किया गया था तथा मेरे द्वारा किये गये न्यायिक आदेश करने के संबंध में हतोत्साहित किया गया।

मेरे न्यायालय में लगातार अक्षम स्टेनो की नियुक्ति किया जाता रहा, जिसके कारण मेरे कोर्ट का कार्य बहुत ही प्रभावित होता रहा, जिसके संबंध में मैंने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को कई बार मौखिक रूप से अवगत कराया कि पॉक्सो कोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायालय है और यहां पर ऐसे स्टेनो की नियुक्ति की जाये जिससे न्यायिक कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पादित हो सके। मेरे द्वारा बार–बार निवेदन के बावजूद अक्षम स्टेनो की नियुक्ति की जाती रही, जिसमें कई स्टेनो लम्बी छुट्टी पर चले गये, जिस कारण मेरे न्यायालय का कार्य बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मानिटरिंग सेल की मीटिंग पर इस बात पर हमेशा चर्चा होती रही कि पॉक्सो मामले का निस्तारण बहुत ही धीमी गति से हुए। यदि अक्षम स्टेनो की नियुक्ति हो जाती है तो मामला स्वाभाविक रूप से धीमी गति से निस्तारित होंगे। मेरे न्यायालय में कार्यरत स्टेनो मोना चन्द्रा की अक्षमता के संबंध में मैंने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को दिनांक 02.11.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। **(संलग्नक–3)** जिसके संबंध में माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अनिल कुमार वर्मा–I द्वारा मुझे बहुत ही अपमानित किया गया, जिससे मुझे आज भी बहुत दुख है। मेरे द्वारा आख्या प्रस्तुत करने की 05 दिन बाद जनपद न्यायाधीश महोदय ने दिनांक 07.11.2023 को अर्द्धशासकीय संख्या–02/2023 को निर्गत किया, जिस कारण उपरोक्त प्रकरण प्रारम्भ हो गया।

जिलाधिकारी, संत कबीर नगर श्री महेन्द्र सिंह तंवर ने अपने पत्र संख्या–SO OSD 2023/CA दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 के पैरा 08 **(संलग्नक–4)** में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि मेरे द्वारा अन्य प्रकरण धारा 156(3) दं०प्र०सं० में दिनांक 20.11.2023 से दिनांक 24.11.2023 के बीच जारी आदेश विद्वेषपूर्ण भावना से जारी की गयी है। उक्त कृत्य न्यायालय अवमानना की श्रेणी में आता है। जिलाधिकारी द्वारा उक्त तथ्य प्रस्तुत करके जिले के पुलिस अधिकारी एवं अन्य अधिकारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि मेरे द्वारा जारी सभी आदेश विद्वेषपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिलाधिकारी द्वारा जिले के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी को यह संदेश देना चाहते हैं कि पॉक्सो न्यायालय के किसी भी आदेश का अनुपालन करना जरूरी नहीं, क्योंकि वह विद्वेषपूर्ण भावना से जारी किया जा रहा है। मैं संत कबीर नगर में सितम्बर 2019 से पदस्थ हूँ और आज तक किसी अधिकारी ने विद्वेषपूर्ण भावना से आदेश पारित करने का आरोप नहीं लगाया था। यदि पुलिस अधीक्षक मेरे आदेश से क्षुब्ध थे तो उनको मेरे आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देना चाहिए था, न कि माननीय जनपद न्यायाधीश को शिकायती प्रार्थना पत्र देना चाहिए था। पुलिस अधीक्षक श्री सत्यजीत गुप्ता का उक्त कृत्य न्यायिक अवमानना की श्रेणी में आता है।

दिनांक 20.11.2023 से 24.11.2023 के बीच मेरे द्वारा मांगी गयी आख्या अभी तक पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है, जो यह दर्शित करता है कि वे न्यायालय से अपने–आप को ऊपर समझते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

जिलाधिकारी श्री महेन्द्र सिंह तंवर ने दिसम्बर, 2023 की मानिटरिंग सेल की बैठक में धमकी भरे अंदाज में मुझसे कहा कि जिले में कौन सबसे बड़ा अधिकारी है, इसको मैं दूसरे अंदाज में आपको बता सकता हूँ। जिलाधिकारी ने मानिटरिंग सेल की बैठक में यह भी कथन किया कि वह मानिटरिंग सेल कमेटी के सदस्य हैं तथा जनपद न्यायाधीश के बराबर है। जिलाधिकारी श्री महेन्द्र सिंह तंवर का उक्त कृत्य घोर अवमानना की श्रेणी में आता है। जिला जज एवं अपर जिला जज, जिले के समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय के अपीलीय/पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार रखते हैं। जिलाधिकारी का न्यायालय भी जिला न्यायालय के अपीलीय/पुनरीक्षण अधिकारिता के अन्तर्गत आता है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी श्री महेन्द्र सिंह तंवर द्वारा यह कथन कि वह जिले में जिला जज के बराबर है, जो अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अनिल कुमार वर्मा-। ने जिलाधिकारी के उक्त कृत्य का संज्ञान लेते हुए कोई कार्यवाही नहीं की।

आख्या माननीय महोदय के समक्ष सादर प्रेषित।

दिनांक–31.01.2024

भवदीय

Jainuddin Ansari
31/01/2024
(जैनुद्दीन अंसारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
जनपद सन्त कबीर नगर।

प्रतिलिपियाँ प्रेषित–

संलग्नक–1 (1–4)

संलग्नक–2 (1–2)

संलग्नक–3

संलग्नक– (1–3)

Received a Copy
[signature]
31/01/2024

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जैनुद्दीन अंसारी,
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
जनपद संत कबीर नगर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद संत कबीर नगर।

विषयः–आदेश दिनांकित 17.01.2024 के बिन्दु संख्या 01 व 04 के संबंध में आख्या।

महोदय,

बिन्दु संख्या 01–

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु गठित समिति के द्वारा प्रत्येक माह वर्चुअल मोड में बैठक आहूत की जाती है। उक्त बैठक में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु गठित समिति ने यह निर्देश दिया था कि न्यायालयों में लम्बित निगरानी को अगली बैठक होने से पूर्व निस्तारित किया जाये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में मेरे द्वारा मेरे न्यायालय में लम्बित सभी निगरानी को निस्तारित करने का प्रयास किया गया। उक्त प्रयास के अनुक्रम निगरानी संख्या 71/2021 को भी निस्तारित किया गया। पत्रावली के आदेश पत्रक पर अगली तिथि दिनांक 02.09.2023 अंकित नहीं की गयी थी। पत्रावली पर 10.08.2023 की तारीख निश्चित की थी। कार्यालय लिपिक द्वारा सी०आई०एस० सॉफ्टवेयर पर भूलवश दिनांक 02.09.2023 अग्रसारित कर दी गयी थी, जिसे पेशकार द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र के आधार पर दुरुस्त कर दिया गया था। पत्रावली के आदेश पत्रक पर किसी भी प्रकार का कोई ओवर राइटिंग व कटिंग नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि पत्रावली पर 02.09.2023 की तारीख अंकित नहीं थी।

शिकायतकर्ता विपक्षी संख्या 02 व अभियोजन पक्ष विपक्षी संख्या 01 है। विपक्षी संख्या 02 द्वारा भी अपना लिखित आपत्ति न्यायालय में दाखिल करके अपनी बहस पूर्ण की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु गठित समिति के आदेश के अनुक्रम में निगरानी की पत्रावलियाँ त्वरित गति से निस्तारित की जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 02 मामले का त्वरित निस्तारण नहीं चाहता था एवं मामले को विलम्बित करने के आशय से अंतरण प्रार्थना–पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश को प्रस्तुत किया था। उक्त अंतरण प्रार्थना–पत्र की जानकारी मुझे तब हुई जो मामला निस्तारित किया जा चुका था।

बिन्दु संख्या 04–

दिनांक 10.08.2023 को उक्त निगरानी संख्या 71/2021 के निस्तारण के उपरान्त जब सी०आई०एस० सॉफ्टवेयर पर आदेश अपलोड किया जाना था तब इस तथ्य की जानकारी हुई कि स्टाफ द्वारा भूलवश उक्त निगरानी की तिथि 02.09.2023 अग्रसारित कर दी गयी है, जिसे पेशकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर दुरुस्त किया गया एवं पेशकार और लिपिक को यह मौखिक आदेश दिया गया कि पत्रावली के आदेश पत्रक के अनुसार सी०आई०एस० सॉफ्टवेयर पर तिथि अंकित करे, भविष्य में ऐसी गलती न करे।

आख्या सादर प्रेषित।

दिनांक–17.01.2024

भवदीय,

Jainuddin Ansari
(जैनुद्दीन अंसारी) 17/01/2024
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
संत कबीर नगर।

17/1/24

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जैनुद्दीन अंसारी,
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
जनपद संत कबीर नगर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
संत कबीर नगर।

विषयः–माननीय महोदय के आदेश दिनांकित 09.12.2023 के अनुपालन के संबंध में अनुपूरक आख्या।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि संबंधित निगरानी संख्या–71/2021 के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु धारा 403 दं०प्र०सं० के उपबंधों का उल्लेख किया जाना सहबन छूट गया था, जिसका उल्लेख किया जाना न्यायसंगत है। धारा 403 यह उपबन्धित करती है कि "इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, जो न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उसके समक्ष स्वयं प्लीडर द्वारा सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है; किन्तु यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी पक्षकार को स्वयं या उसके प्लीडर द्वारा सुन सकेगा।"

श्रीमती मालती एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की गयी है कि "पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना न्यायालय का स्वविवेक होता है एवं पुनरीक्षण दाखिल करने वाले पक्षकारों को सुने जाने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है।"

उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार निगरानी के मामले में किसी भी पक्षकार को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि न्यायालय चाहे तो पक्षकारों को सुन सकता है। उक्त प्रावधान के बावजूद भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था। शिकायतकर्ता विपक्षी संख्या 02 है, जबकि निगरानीकर्ता एवं विपक्षी संख्या 01 द्वारा कोई शिकायत या अंतरण प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था।

तद्नुसार अनुपूरक आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

दिनांक–14.12.2023

भवदीय,

Jainuddin Ansari
(जैनुद्दीन अंसारी) 14/12/23
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
संत कबीर नगर।

Received
14/12/23

Scanned with OKEN Scanner